न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या –879 / 2023
अनवान : –

1. अनिल कुमार पुत्र ब्रज लाल जाति सुथार निवासी ढुकड़ा तहसील व जिला सिरसा हाल धोलपालिया तह0 ऐलनाबाद जिला सिरसा।

– वादी

बनाम्

1. कौशल्या पत्नी बृज लाल जाति सुथार निवासी ढुकड़ा तहसील व जिला सिरसा हाल धोलपालिया तह0 ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. नरेश कुमार पुत्र बृज लाल जाति सुथार निवासी ढुकड़ा तहसील व जिला सिरसा हाल धोलपालिया तह0 ऐलनाबाद जिला सिरसा।
3. सुनीता पुत्री बृज लाल जाति सुथार निवासी ढुकड़ा तहसील व जिला सिरसा हाल धोलपालिया तह0 ऐलनाबाद जिला सिरसा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 08/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया हैं कि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 140 / 59 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 12.3840 है0 भूमि में से 1 / 42 हिस्सा भूमि ब्रिजलाल पुत्र श्रीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ब्रिजलाल पुत्र श्रीराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है ब्रिजलाल पुत्र श्रीराम फौत हो चुके है ब्रिजलाल पुत्र श्रीराम के ाजयज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया स0 1 जो की वादी की माता है एवं प्रतिवादी स0 3 जो की वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती हैं प्रतिवादी स0 1 व प्रतिवादी स0 3 ने उक्त वाद भूमि [illegible] हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है बाद हक [illegible] प्रतिवादी स0 2 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा[illegible] यही विनाय दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:31:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की बाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण ब्रिजलाल श्पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ब्रिजलाल पुत्र श्रीराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है ब्रिजलाल पुत्र श्रीराम फौत हो चुके है ब्रिजलाल पुत्र श्रीराम के जयज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया स0 1 जो की वादी की माता है एवं प्रतिवादी स0 3 जो की वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है प्रतिवादी स0 1 व प्रतिवादी स0 3 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी स0 2 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषक [illegible] किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया [illegible] अनुसार रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत [illegible] संख्या 140/59 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 12.3840 है0 भूमि में से 1/42 हिस्सा भूमि ब्रिजलाल पुत्र श्रीराम के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:31:51 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ब्रिजलाल पुत्र श्रीराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है ब्रिजलाल पुत्र श्रीराम फौत हो चुके है ब्रिजलाल पुत्र श्रीराम के ाजयज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया स0 1 जो की वादी की माता है एवं प्रतिवादी स0 3 जो की वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है प्रतिवादी स0 1 व प्रतिवादी स0 3 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी स0 2 काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मृतक ब्रिजलाल के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 140/59 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 12.3840 है0 भूमि में से 1/42 हिस्सा भूमि में मृतक ब्रिजलाल पुत्र श्रीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 08/09/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:31:51 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या –879/2023
अनवान : –

1. अनिल कुमार पुत्र ब्रज लाल जाति सुथार निवासी ढुकड़ा तहसील व जिला सिरसा हाल धोलपालिया तह0 ऐलनाबाद जिला सिरसा।

– वादी

बनाम्

1. कौशल्या पत्नी बृज लाल जाति सुथार निवासी ढुकड़ा तहसील व जिला सिरसा हाल धोलपालिया तह0 ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. नरेश कुमार पुत्र बृज लाल जाति सुथार निवासी ढुकड़ा तहसील व जिला सिरसा हाल धोलपालिया तह0 ऐलनाबाद जिला सिरसा।
3. सुनीता पुत्री बृज लाल जाति सुथार निवासी ढुकड़ा तहसील व जिला सिरसा हाल धोलपालिया तह0 ऐलनाबाद जिला सिरसा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 879 सन 2023 निर्णय दिनांक 08/09/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 140/59 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 12.3840 है0 भूमि में से 1/42 हिस्सा भूमि में मृतक ब्रिजलाल पुत्र श्रीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/09/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:31:51 IST
Reason: SelfAttested